संख्या-117/2021/634रासनि/23-1-21-112रासनि/20

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद प्रयागराज व कौशाम्बी के 10 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों (निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक के विवरणानुसार जनपद प्रयागराज व कौशाम्बी के 10 कार्यों हेतु लागत रू0 21,92,67,000/- (रूपये इक्कीस करोड़ बानबे लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 1,09,64,000/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख चौसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) मार्ग सुरक्षा का प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाय ।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.20 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत कार्यो की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

( गिरिजेश कुमार त्यागी )
विशेष सचिव ।

संख्या- /2021/ रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( राज कुमार )
अनु सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश सं0-117/2021/634रासनि/23-1-21-112रासनि/20, दिनांक 25.03.2021 का संलग्नक**

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र. सं. | मुख्य अभियंता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र | जनपद | कार्य का नाम | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | 241/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(12 स्पेशल) सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार सं0–12 स्पेशल पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु (चौफटका) पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 291.45 | 14.57 |
| 2 | 245/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(आ लोपी देवी मंदिर)सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | अलोपीबाग फ्लाईओवर पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 311.40 | 15.57 |
| 3 | 249/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(28 सी (फूलपुर))/सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार संख्या 28सी, फूलपुर पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 244.28 | 12.21 |
| 4 | 250/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(30 बी (करछना))/ सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार सं0–30बी, करछना पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर का कार्य | 183.46 | 9.17 |
| 5 | 251/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(35 बी(नैनी))/ सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार संख्या 35बी, नैनी पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 205.06 | 10.25 |
| 6 | 252/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(38 डी(पानी की टंकी))/ सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार संख्या 38डी, (पानी की टंकी) पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 146.10 | 7.31 |
| 7 | 253/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(74 ए)/सेतु–6/ 20–21, दिनांक 25. 02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार संख्या–74ए, एम0एन0एन0आई0टी0 पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 173.92 | 8.70 |
| 8 | 254/प्रा0आगणन–प्रयागराज/(टी /1बी रामबाग)/ सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Prayagraj | रेल सम्पार संख्या–टी/1बी रामबाग पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 257.17 | 12.86 |
| 9 | 247/प्रा0आगणन–कौशाम्बी/(18स ी(सयारा))/सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Kaushambhi | रेल सम्पार सं0–18(सयारा) पर निर्मित दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 211.33 | 10.57 |
| 10 | 248/प्रा0आगणन–कौशाम्बी/(19बी (सिराथू))/सेतु–6/20–21, दिनांक 25.02.21 | Kaushambhi | रेल सम्पार सं0–19बी(सिराथू) पर निर्माणाधीन दो लेन रेल उपरिगामी सेतु पर व्यू कटर लगाने का कार्य | 168.50 | 8.43 |
| | | | **योग** | **2192.67** | **109.64** |

**(राज कुमार)**
**अनु सचिव ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in